



# Meticulous Investigation & Prosecution



## BAGHPAT POLICE

नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी सेन्सरपाल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त सेन्सरपाल पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2022 में नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0- 339/2022 धारा 376/511/342/354/504 भादवि, 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 09.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सेन्सरपाल को दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । उपरोक्त अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त सेन्सरपाल को धारा 342/504/376/511 भादवि में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09-02-2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं SOG बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस, 01 बुगदा, 06 अवैध छुरी, 01 अवैध चाकू तथा 02 गाडी बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं SOG बागपत की संयुक्त टीम द्वारा नैथला मोड दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर चैकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान 02 गाडी मारुती एसएक्स-4 नं0 DL 9CX 1056 व होन्डा स्विफ्ट नं0 HR26 BD 6337 को संदिग्ध प्रतीत होने पर रुकने का इसारा किया गया, उक्त गाडियों में सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, पुलिस पार्टी द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 03 अभियुक्तों 1.इमरान पुत्र नानू, 2.रिजवान पुत्र नसीर व 3.इकराम पुत्र नूरा को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे



.315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, एक अवैध चाकू, एक बुगदा, 06 अवैध छुरी तथा 02 गाडियों में भरा प्रतिबंधित पशु मास बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 95/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड), 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- इमरान पुत्र नानू निवासी मौ0 कुरेशियान पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- रिजवान पुत्र नसीर निवासी फौलादपुर थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3- इकराम पुत्र नूरा निवासी फौलादपुर थाना दोघट जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त इमरान का आपराधिक इतिहास-

- 1-अ0सं0 190/17 धारा 323/504 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 95/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 301/23 धारा 147/148/149/307 भादवि व 3/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 073/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 271/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 272/22 धारा 307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0सं0 274/22 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0 95/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त इकराम का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 227/23 धारा 3/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 95/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोका कारतूस .315 बोर।
- एक अवैध चाकू।
- एक बुगदा।
- 06 अवैध छुरी।
- 01 गाडी मारुती एसएक्स-4 नं0 DL 9CX 1056
- 01 गाडी होन्डा स्विच नं0 HR26 BD 6337

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री रवेन्द्र सिंह पलावत प्रभारी एसओजी मय टीम।
- 2-उ0नि0 श्री वृक्षपाल थाना कोतवाली बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत।

- 5-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत ।  
6-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।  
7-है0का0 202 नरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।  
8-का0 60 संदीप थाना कोतवाली बागपत ।  
9-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना चांदीनगर

दिनांक 09.02.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल उर्फ गोलू पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 281 राकेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-का0 1014 कुलदीप थाना चांदीनगर,जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 09.02.2024

**बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-सौरभ पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम कासिमपुर खेडीथाना रमाला जनपद बागपत ।

2-विजयपाल उर्फ बीजेपाल पुत्र

कालूराम निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।



### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना बिनौली पुलिस टीम ।

2- थाना रमाला पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली बागपत दिनांक 09.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 44/2024 धारा 363/376  
भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 44/24 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र धीरज निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत  
।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत जनद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 09.02.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 273/23 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.10.23 को थाना रमाला पर वादी शाहिद पुत्र नफीस निवासी ग्राम असारा थाना बडौत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में घुसकर पीली व सफेद धातु के आभूषण व 20 हजार रुपये व मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना



बडौत पर मु0अ0सं0 273/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 273/23 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र अकलाक निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 273/23 धारा 380 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 301 मुलायम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 847 ब्रह्मपाल थाना रमाला जनपद बागपत ।